

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लक्ष्मण पुत्र अयोध्या प्रसाद नि० ग्राम दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-330/21, 02. अटल निषाद पुत्र रामसागर नि० ग्राम दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-331/21, 03. रमई पुत्र मोहन कोरी नि० ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-332/21 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सतीराम पुत्र रामदेव खटिक नि० बसन्तपुर राजा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-346/21 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुकई नि० ग्राम बांसगांव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-292/21 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.10.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लडकी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त दीपू तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लडकी के पिता द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपू तिवारी पुत्र दिनेश तिवारी नि० बांसगांव पूरे भुजई थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-366/21, धारा 363.366 भादवि व 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.10.2021

जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त— राम सुधर शुक्ला उर्फ कुन्दन शुक्ला को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने आपसी विवाद के चलते वादी अम्बुज शुक्ला के भाई पंकज शुक्ला के ऊपर जान से मारने की नियत से पेट में चाकू से वार कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राम सुधर शुक्ला उर्फ कुन्दन शुक्ला पुत्र राम इन्द्रा शुक्ला नि० ग्रा० दर्जीजोत मौजा करमडीह कला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—345/21, 307.324.323.504 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० विजय बहादुर सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.10.2021

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त अजय कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी राकेश कुमार की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अजय कुमार शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला नि० डिडिसिया बुर्द थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-279/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० योगेश प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.10.2021

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त राजाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादिनी गीता देवी के पिता को पैसे की लेन देन की बात को लेकर गाली-गुप्ता देते हुए आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादिनी के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजाराम पुत्र बसन्त नि० रेतादल सिंह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-220/21, धारा- 504,506,306 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० बब्बन सिंह मय टीम।

